

संवा म,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र, प्रीति बिहार,
नई दिल्ली।

संख्या 1465

/27-59 (2008-09) जे0ए0

दिनांक : 29-06-2010

विषय :-

आर0पी0एस0 पब्लिक स्कूल, हरिद्वार रोड़, चन्दक, जनपद बिजनौर को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आर0पी0एस0 पब्लिक स्कूल, हरिद्वार रोड़, चन्दक, जनपद बिजनौर को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजुकेशन नई दिल्ली/कौंसिल आफ दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- 5- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे सन्धा उनका पालन करेगी।
- 8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- 9- राज्य सरकार एवं सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित भानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवरथापना सुविधाओं की उपलब्धता, सम्बद्धता से पूर्व संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- 10- उक्त विद्यालय का संचालन अनापत्ति प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत भू-अभिलेखों में उल्लिखित ग्राम खुराहेड़ी, तहसील व जिला-बिजनौर स्थित गाटा सं0 486 क्षेत्रफल 1.147 है0 का 1/4 भाग 2830 वर्गमीटर तथा इसी गाटे में से 5738 वर्गमीटर (कुल क्षेत्रफल 8398 वर्गमीटर) में निर्मित भवन व भूमि पर ही किया जायेगा, भूमि का प्रयोग अन्य किसी प्रयोजन हेतु करने तथा विद्यालय को अन्यत्र संचालित करने पर यह अनापत्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- 11- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिष्कार/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,


(एल0 वेंकटेश्वर लू)


आयुवत।

संख्या एवं दिनांक उक्त :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, उ0प्र0शासन, माध्यमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
- 2- शिक्षा निदेशक (मा0), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- जिलाधिकारी, बिजनौर।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- संयुक्त शिक्षा निदेशक, द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।
- 6- जिला विद्यालय निरीक्षक, बिजनौर।
- 7- प्रबंधक, आर0पी0एस0 पब्लिक स्कूल, हरिद्वार रोड़, चन्दक, जनपद बिजनौर।


Manager
R.P.S. Public School
CHANDOK, Bijnor


PRINCIPAL
R.P.S. Public School
CHANDOK, Bijnor

(एल0 वेंकटेश्वर लू)